

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

सं०सं० :- 3/अ०प्र०-8-01/2021

5/83

/पटना, दिनांक :- 15-5-25

श्री रामचन्द्र पासवान, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ढाका को निगरानी विभाग(अन्वेषण ब्यूरो) बिहार, पटना द्वारा दिनांक 15.06.2021 को 80,000/- (अस्सी हजार रुपये) घूस लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने तथा निगरानी थाना कांड संख्या-020/2021 दिनांक 14.06.2021 धारा-7(a)(c)/12 भ्र०नि०अधि०, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) एवं धारा-120(B) भा०द०वि० दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजे जाने के कारण विभागीय अधिसूचना संख्या-1130 सह पठित ज्ञापांक-1131 दिनांक 18.08.2021 द्वारा दिनांक 15.06.2021 के प्रभाव से निलंबित किया गया।

2. श्री पासवान द्वारा जमानत पर दिनांक 04.02.2022 को जेल से रिहा होकर दिनांक 07.02.2022 को विभाग में योगदान समर्पित किया गया। श्री पासवान द्वारा समर्पित योगदान अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त योगदान की तिथि से श्री पासवान का योगदान स्वीकृत करते हुए योगदान की तिथि 07.02.2022 के प्रभाव से विभागीय अधिसूचना संख्या-353 सह पठित ज्ञापांक-356 दिनांक 07.03.2022 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) एवं 9(1)(ग) के तहत पुनः निलंबित किया गया।

3. श्री रामचन्द्र पासवान के विरुद्ध कदाचार के गंभीर आरोपों को दृष्टिपथ में रखते हुए विभागीय संकल्प संख्या-1222 दिनांक 25.07.2022 के द्वारा मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

4. श्री पासवान के द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक 15.03.2024 में लंबी अवधि से लगातार निलंबित रहने के दौरान अपने परिवारिक आर्थिक समस्याओं को इंगित करते हुए निलंबन से मुक्त करने अथवा जीवन निर्वाह भत्ता को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का अनुरोध किया गया।

5. श्री पासवान द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में समीक्षोपरान्त इनके विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों के क्रम में धारा-7(a)(c)/12 भ्र०नि०अधि०, 1988(संशोधित अधिनियम 2018) एवं धारा-120(B) भा०द०वि० के तहत दर्ज निगरानी थाना कांड संख्या-020/2021 दिनांक 14.06.2021 के आलोक में संचालित विभागीय कार्यवाही के निर्णय में विलम्ब की संभावना को दृष्टिपथ में रखकर उन्हें विभागीय कार्यवाही के अधीन रखते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10(1)(i) में सन्निहित प्रावधानों के तहत विभागीय संकल्प संख्या-2292 दिनांक 16.08.2024 द्वारा उनके जीवन निर्वाह भत्ता को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने की स्वीकृति दी गयी।

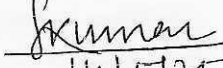
6. श्री पासवान विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में ही दिनांक 30.04.2025 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सरकारी सेवक के निलंबन में रहते हुए सेवानिवृत्त होने के संबंध में वित्त विभाग के ज्ञापांक-3/एफ-01-50/70-12753- एफ- दिनांक 26.11.1970 में स्पष्ट किया गया है कि "Government Servants under suspension should retire on reaching the age of superannuation irrespective of the question whether enquiries into charge or departmental or judicial proceeding initiated against them have been concluded or not." इस प्रकार निलंबित सरकारी सेवक का निलंबन वापस लेकर उसे वार्धक्य सेवानिवृत्ति की तिथि के प्रभाव से सेवानिवृत्त किया जाना अपेक्षित होता है।

क०प०उ०

7. श्री रामचन्द्र पासवान, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ढाका सम्प्रति निलंबित को वित्त विभाग के ज्ञापांक-3/एफ-01-50/70-12753-एफ- दिनांक 26.11.1970 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में उनके सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 30.04.2025 के अपराह्न से निलंबन से मुक्त किया जाता है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


15/5/25
(संजय कुमार)
अवर सचिव

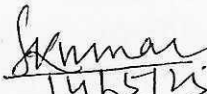
ज्ञापांक:- 3/अ०प्र०-8-01/2021 5183 /पटना/दिनांक:- 15-5-25

प्रतिलिपि :-महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


15/5/25
अवर सचिव

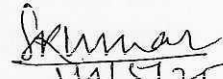
ज्ञापांक:- 3/अ०प्र०-8-01/2021 5183 /पटना/दिनांक:- 15-5-25

प्रतिलिपि :- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/जाँच आयुक्त-सह-सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख-सह- अपर-आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, मोतिहारी/ पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी-सह-संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी /कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सिकहरना(ढाका)/प्रशाखा पदाधिकारी -6 एवं 12, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं अन्य संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


15/5/25
अवर सचिव

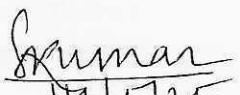
ज्ञापांक:- 3/अ०प्र०-8-01/2021 5183 /पटना/दिनांक:- 15-5-25

प्रतिलिपि:- श्री रामचन्द्र पासवान, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ढाका सम्प्रति निलंबित, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


15/5/25
अवर सचिव

ज्ञापांक:- 3/अ०प्र०-8-01/2021 5183 /पटना/दिनांक:- 15-5-25

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


15/5/25
अवर सचिव